KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880
BPSC - Polity
By : Karan Sir

केंद्र-राज्य संबंध

- भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां (विधायी कार्यपालक और वित्तीय) केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को लागू करती है।
- यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं।
- **केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन तीन दृष्टिकोणों से किया जा सकता है:**
  - विधायी संबंध
  - प्रशासनिक संबंध
  - वित्तीय संबंध

विधायी संबंध-

- संविधान के भाग- XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केन्द्र-राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

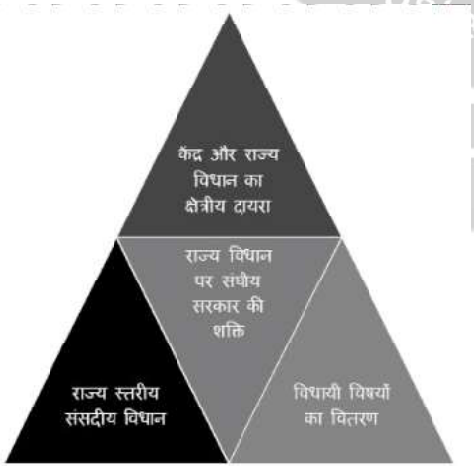

केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय दायरा-

- **अनुच्छेद 245(1):** संसद के पास ऐसे कानून बनाने की शक्ति है जो भारत के पूरे क्षेत्र या उसके कुछ हिस्से पर लागू होते हैं। एक राज्य विधायिका ऐसे कानून पारित कर सकती है जो पूरे राज्य या केवल एक हिस्से पर लागू होते हैं। राज्य और वस्तु के बीच एक आवश्यक संबंध को छोड़कर, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर लागू नहीं होते हैं
- संसद द्वारा पारित कानून का क्षेत्रीय प्रभाव (भारतीय क्षेत्र के बाहर) होता है। संसद द्वारा अधिनियमित कानून दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय प्रजा और उनकी संपत्ति को नियंत्रित करते हैं
- राष्ट्रपति के पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम जारी करने का अधिकार है, और ऐसे नियम किसी को संशोधित या निरस्त कर सकते हैं।
- राज्यपाल के पास यह निर्देश देने का अधिकार है कि एक संसदीय अधिनियम राज्य में निर्दिष्ट क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या विशिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है।
- संसद का कोई अन्य अधिनियम जो किसी स्वायत्त जिले या आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, उसे असम के राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में राष्ट्रपति के पास जनजातीय क्षेत्रों पर समान शक्तियाँ हैं

विधायी विषयों का वितरण-

- संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-I (संघ सूची), सूची-ष्प (राज्य सूची), और सूची-III(समवर्ती सूची) संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों का वितरण प्रदान करती है।
  - संघ सूची में 100 विषय (मूल रूप से 97): संघ सूची में निर्दिष्ट विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं, और केवल संसद को उन पर कानून बनाने का अधिकार है।
  - केवल राज्यों के पास राज्य सूची के लिए कानून स्थापित करने की विशेष शक्ति है, जिसमें अब 61 विषय हैं (मूल रूप से 66)
  - समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र और राज्य कानूनों के बीच विरोधाभास में केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है
  - अनुच्छेद 248: अवशिष्ट शक्तियां: संसद के पास किन्हीं तीन सूचियों में शामिल नहीं किए गए मुद्दों पर कानून पारित करने का एकमात्र अधिकार है। अदालतें तय करती हैं कि कोई विशेष मामला अवशिष्ट नियंत्रण में आता है या नहीं

राज्य स्तरीय संसदीय विधान-

- पाँच असामान्य परिस्थितियों में, संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मुद्दे पर कानून पारित करने का अधिकार देता है
  - जब राज्य सभा एक प्रस्ताव पारित कर दे- जब राज्य सभा यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित के लिए संसद द्वारा कानून पारित करना आवश्यक है, तो संसद को राज्य सूची पर कानून पारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
  - राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद-352)
  - राष्ट्रपति शासन के दौरान (अनुच्छेद-356)
  - राज्यों के अनुरोध की अवस्था में-
  - अन्तराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने में (अनुच्छेद-51)

राज्य विधान पर संघीय सरकार की शक्ति

- असाधारण परिस्थितियों में राज्य के विषयों पर सीधे कानून बनाने की संसद की क्षमता के बावजूद, संविधान केंद्र को निम्नलिखित तरीकों से राज्य की विधायी चिंताओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है।
  - राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के उपायों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा समीक्षा के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इन पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है। (अनुच्छेद 200)
  - राज्य सूची के विशिष्ट मुद्दों पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही राज्य विधानमंडल में पेश किए जा सकते हैं। (उदाहरण के लिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित और सीमित करने वाले बिल।)
  - वित्तीय आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार राज्यों को राष्ट्रपति द्वारा समीक्षा के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को रोकने का निर्देश दे सकती है।

प्रशासनिक संबंध

- केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेदों द्वारा तय किए जाते हैं। भारतीय संविधान दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था की वकालत करता है।
- भारतीय संविधान एक रूपरेखा तैयार करता है जो भारत में सभी सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों, शक्तियों, प्रक्रियाओं और राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। इस संदर्भ में, भारत में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों द्वारा निपटाए जाते हैं। ये अनुच्छेद संविधान के भाग ग्ग में हैं, विशेष रूप से 256 से 263 तक। भारतीय संविधान मूल रूप से एक संघीय प्रणाली है जो दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन की प्रणाली की वकालत करती है। इसका मतलब यह है कि उनके बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का विभाजन होगा।

कार्यकारी शक्तियों का वितरण

- भारत में केंद्र का कार्यकारी अधिकार काफी बड़ा है और यह पूरे देश में फैला हुआ है। वास्तव में, केंद्र की कार्यकारी शक्ति का यह विस्तार उन मामलों तक भी हो सकता है जो राज्यों की एकमात्र विधायी चिंता हैं।
- भारतीय संविधान में कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को विधायी अधिकार प्राप्त है। ऐसे मामलों में, राज्यों को कार्यकारी शक्ति प्राप्त होगी लेकिन एक बड़ा अपवाद है। अपवाद यह होगा कि यदि यह संसदीय कानून या संवैधानिक प्रावधान द्वारा व्यक्त किया गया है तो शक्ति केंद्र में निहित होगी।

राज्यों को केंद्र के निर्देश

- भारत में केंद्र को नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में बिजली के निष्पादन के संबंध में राज्यों को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है:
  - संचार के साधनों पर केंद्र का अधिकार होता है; राज्य का निर्माण और उसका रख-रखाव।
  - केंद्र को अनुच्छेद 365 के तहत केंद्रीय निर्देशों पर अधिकार प्राप्त है, अर्थात कुछ स्थितियों में इन निर्देशों में अंतर्निहित बलपूर्वक मंजूरी का प्रयोग।
  - किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के संबंध में केंद्र को अधिकार प्राप्त है; प्राथमिक स्तर के स्कूली बच्चों को उनकी मातृभाषा में निर्देश प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सुविधाओं का प्रावधान।
  - राज्य की अनुसूचित जनजातियों के संबंध में केंद्र को अधिकार प्राप्त है; उनके कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन।

राज्यों पर संघ का नियंत्रण

- भारतीय संघ राज्यों पर महत्वपूर्ण स्तर का नियंत्रण रखता है। नियंत्रण के इस स्तर को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं:
  - संविधान के अनुच्छेद 257(1) के अनुसार, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए कि केंद्र द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में नकारात्मक हस्तक्षेप से बचा जा सके। साथ ही, खंड के दूसरे भाग में कहा गया है कि केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को उन उद्देश्यों के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं जिन्हें आवश्यक माना जाता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 257(2) के अनुसार, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश जारी करने की शक्ति में संचार के साधनों से संबंधित मामले भी शामिल होंगे; उनका निर्माण एवं संरक्षण। इसके राष्ट्रव्यापी या सशस्त्र बलों के महत्व की घोषणा होने की स्थिति में ऐसा होता।
  - संविधान के अनुच्छेद 257(3) के अनुसार, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश जारी करने की शक्ति एक विशिष्ट राज्य के रेलवे को भी कवर करेगी; सुरक्षा के लिए उनके उपाय।

- संविधान के अनुच्छेद 257(4) के अनुसार, भारत सरकार राज्यों द्वारा खंड (2) या खंड (3) निर्देशों के अनुपालन के लिए खर्च की जाने वाली सहमत लागत का भुगतान करेगी। समझौते में चूक की स्थिति में, अतिरिक्त लागत राशि का निर्धारण एक सुलहकर्ता द्वारा किया जाएगा जिसकी नियुक्ति भारतीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक सहयोग

☛ केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक सहयोग को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

- राज्यों के बीच नदी जल के संबंध में असहमति या शिकायतें उत्पन्न हो सकती हैं; उनका उपयोग, वितरण, या नियंत्रण। ऐसी असहमतियों या शिकायतों का निर्णय संसद द्वारा किया जाएगा।
- केंद्र और भारतीय राज्यों के बीच पारस्परिक हित के विषयों पर शोध और चर्चा के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर-राज्य परिषद बनाई जा सकती है।
- केंद्र और राज्यों दोनों के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं को संपूर्ण राष्ट्र में पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाएगा।
- संसद को अंतरराज्यीय संभोग, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त करने की आधिकारिक शक्ति प्राप्त होगी।

वित्तीय सम्बन्ध

☛ संविधान के अनुच्छेद 264-291 में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान में यह प्रावधान है कि संसद संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर अधिरोपित कर सकती है, जबकि राज्य विधान मंडल राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर अधिरोपित कर सकता है।

संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत

- संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत - निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार।
- राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत- राज्यों के प्रमुख राजस्व स्रोत है- व्यक्तिकर, कृषि भूमि पर कर, सम्पदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, बिजली उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी आदि।
- संघ द्वारा लगाए गये तथा राज्य द्वारा वसूले जाने वाले कर- जो कर संघ द्वारा लगाये जाते हैं लेकिन राज्य द्वारा वसूले जाते है, वे हैं - वसीयतों, विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, हुण्डियों चेको आदि पर स्टाम्प शुल्क दवा तथा मादक द्रव्य पर कर तथा औषधि और प्रशाधन सामग्री पर लगाये गये कर।
- संघ द्वारा लगाये तथा वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों में वितरित किये जाने वाले कर-

☛ संघ निम्नलिखित मदों पर कर लगाकर तथा उन्हें वसूल कर राज्यों के मध्य वितरित कर देगा-

- कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में शुल्क,
- रेल, समुद्र, वायु मार्ग द्वारा ले जाये जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर,
- रेल भाड़ों तथा माल भाड़ों पर कर,
- स्टाक एक्सचेन्जों तथा शेयर बाजारों के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर,
- कृषि से भिन्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क,
- समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर,
- समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर, जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराष्ट्री य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है,
- माल के पोषण पर उस दशा में कर, जिसमें ऐसी घोषणा अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

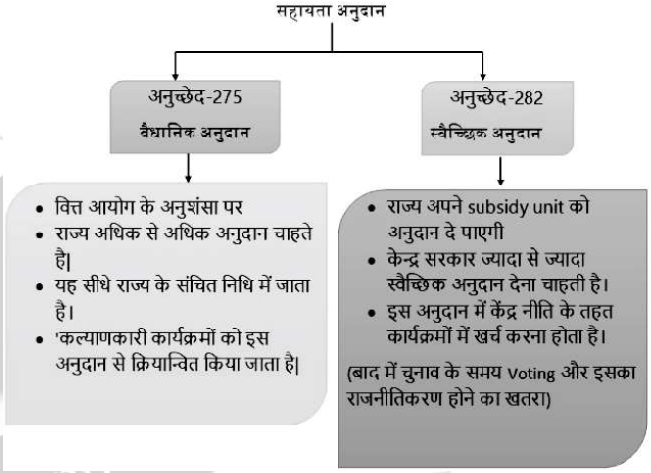

संघ से राज्यों को सहायता अनुदान दो वर्गों में दिये जाते हैं-

☛ **वैधानिक अनुदान**- यह ऐसा अनुदान होता है जिसमें वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्यों को अनुदान दिया जाता है और राज्यों के पास ऐसी स्वायत्तता होती है कि वे उसे अपनी राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में खर्च कर सके।

☛ **स्वैच्छिक अनुदान**- यह ऐसा अनुदान है जिसमें संघ अपनी स्वैच्छा से राज्यों को अनुदान देता है किन्तु राज्यों के पास खर्च करने की स्वायंत्रता नहीं होती है।

विवाद क्या है?

- राज्यों के द्वारा वैधानिक अनुदान की मांग अधिक की जाती है।
- केंन्द्र अधिक में अधिक स्वैच्छिक अनुदान अधिक देना चहता है।
- केन्द्र और राज्य में अलग-अलग पार्टी का शासन होने पर यह और भी विवादित विषय हो जाता है।

सामाधान या उपाय

- सहायता अनुदान लिए एक अलग अन्तर्राज्यीय परिषद होना चाहिए।
- अनुदान के प्रशासन को पारदर्शी बनाना चाहिए।
- निधियों के अनुकूलतम दोहन पर बल देना चाहिए।

सहायता अनुदान

☛ संघ द्वारा करों को उद्‌गृ हीत करके राज्यों में वितरित किये जाने के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि राज्यों के संसाधन पर्याप्त हो संसाधन पर्याप्त न होने की स्थिति में संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष संघ ऐसे राज्यों की सहायता अनुदान देगा, जिनके बारे में संसद यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है। विशेषकर राज्यों को जनजाति के क्षेत्रों के कल्याण के लिए अनुदान दिये जाएंगे, जिसमें इस सम्बन्ध में असम को दी जाने वाली विशेष सहायता भी शामिल है।

संघ तथा राज्य की उधार लेने वाली शक्ति

☛ संघ को भारत सरकार के राजस्व की प्रतिभूति पर भारत के बाहर उधार लेने की असीमित शक्ति है लेकिन संघ इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा विहित सीमाओं के अधीन कर सकता है।

राज्य सरकार की उधार लेने की सीमित शक्ति है-

- राज्य भारत से बाहर उधार नहीं ले सकते,
- राज्य सरकार को अपने राजस्व की प्रतिभूति पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए भारत के राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत उधार लेने की शक्ति है-
- उन शर्तों के अधीन, जो राज्य विधानमंडल विहित करता है,
- यदि संघ ने राज्य के किसी बकाया उधार की प्रत्याभूति दी है, तो संघ सरकार की सम्मति के बिना राज्य ऋण नहीं ले सकता।

केंद्र-राज्य संबंधों के बीच तनाव का क्षेत्र

☛ केन्द्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करने में दलीय प्रणाली या स्वरूप की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं है। जब तक केन्द्र व राज्यों में एक ही दल की सरकारें रही, केन्द्र-राज्य संबंध मधुर रहें , जब भी केन्द्र व राज्यों में भिन्न-भिन्न दलों की सरकारे रही, केन्द्र व राज्य संबंधों में संघर्ष व तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। 1967 के बाद यह स्थिति कायम नहीं रही व राज्यों में अन्य दलों ने सत्ता हासिल की। जिस कारण केन्द्र व राज्य संबंधो में तनाव के कारण उत्पन्न हुए। केंद्र-राज्य संबंधों के मध्य निम्नलिखित तीन प्रकार का तनाव का क्षेत्र देखा जाता हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

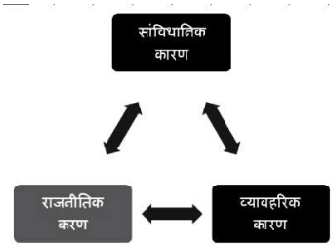

सांविधानिक कारण

☛ समय-समय पर केन्द्र व राज्यों में उभरने वाले सांविधानिक कारण निम्न है।

☛ भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में अधिक है। संघ सूची व समवर्ती सूची में केन्द्रीय कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को इतने अधिक अधिकार प्रदान किए गए है कि राज्यों की स्वायत्ता पर काफी हद तक आंच आ जाती है। 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त राजमन्नार समिति ने भी सिफारिश की थी कि संघ सूची व समवर्ती सूची में से कुछ शक्तियाँ निकाल कर राज्य सूची में डाल देनी चाहिए।

☛ राज्य मंत्रीमंडल प्राय: यह अनुभव करते है कि उनकी विधायी व प्रशासनिक शक्तियां इतनी सीमित है कि उन्हें अपने निर्णयों के कार्यान्वयन में केन्द्र का मूँह ताकना पड़ता है। जब केन्द्र व राज्यों में एक ही दल की सरकार हो तो समस्या प्रबल नही हो पाती, लेकिन विपरीत अवस्था में तनाव प्राय: बढ़ जाता है।

☛ ऐसे भी आरोप लगाए जाते है कि केन्द्र जिन राज्यों से अप्रसन्न होता है उसके साथ राज्स्व वितरण या सहायता देने में पक्षपात करता है। उदाहरणार्थ: - बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि का यहीं आरोप रहा है कि सरकार उन्हे संग्रहित राजस्व का पूर्ण भाग नही देती।

☛ केन्द्रीय सरकार की भी यह शिकायत रही है कि कुछ राज्य सरकारें संविधान प्रदत शक्तियों का प्रयोग इसप्रकार करती है कि केंद्रीय सरकार की सामाजिक न्याय और प्रगतिशील नीतियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है।

व्यावहरिक कारण

☛ केन्द्र-राज्य संबंधो में तनाव के लिए व्यावहारिक कारण भी उत्तरदायी रहे है। जिनका वर्णन निम्न है:-

☛ केन्द्र-राज्य संबंधो की प्रकृति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि केन्द्र या राज्य सरकारें एक-दूसरे के प्रति कितना कठोर व लचीला रूख रख सकते है। दोनों ही सरकारों के आचरण पक्ष पर केन्द्र-राज्य संबंधो का स्वरूप निर्भर करता है।

☛ कोई नया कारखाना खोलने तथा बिजली व सिचाई के लिए पानी के विभाजन के प्रश्नों के पर यदा-कदा तनाव पैदा होते है। नदियों के पानी के बँटवारे के प्रश्न पर विवाद उग्र रूप धारण कर लेते है।

☛ कुछ राज्य सरकारों का प्रकृति बहुत है कि उनके आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में केन्द्र सरकार का समुचित सहयोग नही मिलता। उदाहरणर्थ केरल सरकार प्राय: इस प्रकार की शिकायत करती रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे होने पर भी केरल के औद्योगिक विकास के प्रति केंद्रीय सरकार उदासीन रही है।

राजनीतिक करण

- केन्द्र व राज्य केंद्रीय सरकारें राजनीतिक रूप से भी एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। जिन्हे निम्न रूप में रखा जा सकता है-
- केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा कितनी ही बार एक-दूसरे पर संकीर्ण दलबंदी की भावना के आरोप लगाए जाते रहें है। केन्द्र में कांग्रेसी शासन के समय जब भी प्राय: यही प्रकृति बहुत है कि केन्द्र राज्य सरकार को गिराने या नीचा दिखाने को प्रयत्नशील है। दूसरी ओर केन्द्र का यह प्रकृति बहुत कि राज्य सरकार केन्द्र के साथ असहयोग की राजनीति खेल रही है।
- कुछ विपक्षी दल क्षेत्रीय सांप्रदायिक भावनाओं की मदद से जनता में लोकप्रिय होना चाहते है। क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन में सफलता प्राप्त करने के लिए केन्द्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करते है। कुछ वामपंथी दल, जिनकी लोकप्रियता कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। निर्वाचन नीति के रूप में भी केन्द्र के विरूद्ध राजनीतिक प्रचार करते है।
- इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है जिसके वजह से केंद्र-राज्य संबंधों के मध्य तनाव उत्पन्न होता हैं।

(1) राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका,

(2) राज्यपाल का पार्टीवादी व पक्षपातपूर्ण रवैया,

(3) पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना,

(4) राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती,

(5) राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना,

(6) राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव,

(7) राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका,

(8) अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस व आइएफएस) का प्रबंधन,

(9) राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग,

(10) मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति,

(11) केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी, और

(12) राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण।

- **केंद्र-राज्य संबंध सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास-**

  केंद्र-राज्य सम्बन्ध सुधार के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न परिषदों और आयोगों का गठन किया हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

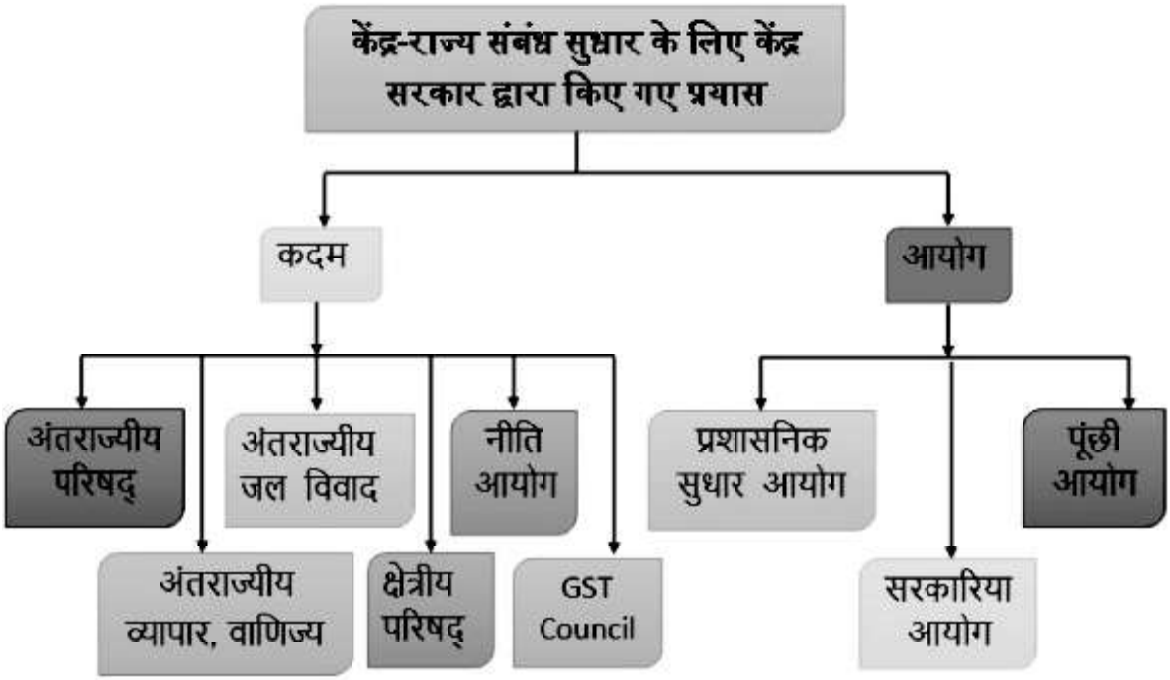

अंतराज्यीय परिषद्

- अंतर्राज्यीय परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करने और सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों या केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के समान हित वाले विषयों की पड़ताल तथा विमर्श करने का अधिकार है।
- यह राज्यों के सामान्य हित के अन्य मामलों पर भी विचार करता है, जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया हो।
- परिषद की एक वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठक हो सकती है।
- परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है।
- अध्यक्ष- प्रधानमंत्री।
- सदस्य- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा नहीं रखने वाले केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक तथा राष्ट्रपति शासन (जम्मू-कश्मीर के मामले में राज्यपाल शासन) के तहत राज्यों के राज्यपाल सदस्य।
- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री।

कार्य-

- देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने के लिये एक मजबूत संस्थागत ढाँचा तैयार करना तथा नियमित बैठकें आयोजित करके परिषद व क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना।
- क्षेत्रीय परिषदों और अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा केंद्र-राज्य तथा अंतर-राज्य संबंधों के सभी लंबित व उभरते मुद्दों पर विचार करने की सुविधा प्रदान करता है।

अंतराज्यीय जल विवाद

☛ अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956: इस अधिनियम के तहत यदि विवाद में संलग्न राज्य बातचीत से मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं हैं तो केंद्र ISRWD को हल करने के लिये एक न्यायाधिकरण (tribunal) का गठन करता है।

- कावेरी नदी जल विवाद- यह विवाद केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के मध्य नदी जल बटवारे को लेकर है।
- कृष्णा नदी जल विवाद- कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊँचाई बढ़ाने को लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मध्य जल विवाद है।
- यमुना नदी जल विवाद- हरियाणा में निर्माणाधीन हथिनीकुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य विवाद है।
- पेरियार नदी जल विवाद-पेरियार नदी पर निर्मित मुल्ला पेरियार बांध की ऊँचाई को लेकर तमिलनाडु तथा केरल के मध्य विवाद है।
- सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद- पंजाब तथा हरियाणा के मध्य नहर जल को लेकर विवाद है।

क्षेत्रीय परिषद्

☛ ये कानून द्वारा स्थापित संस्थाये है इनका गठन संसद कानून द्वारा करती है इन्हें सन् 1956 में मान्यता दी।

भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदे हैं:-

1. **उतरी क्षेत्रीय परिषद्** (मुख्यालय नई दिल्ली):- जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, नई दिल्ली/राजस्थान
2. **मध्य क्षेत्रीय परिषद्** (मुख्यालय ईलाहबाद य.पी):- यू.पी, एम. पी, उतराखण्ड, छतीसगढ़।
3. **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्** (कलकता वी.बी.):- बिहार, झारखण्ड, पं. बगाल, उड़ीसा।
4. **पश्चिमी क्षेत्री परिषद्** (मुंबई):- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरनगर हवेली दमन दीव।
5. **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्** (चेन्नई):- आंन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, केरल, पांडीचेरी।
6. **पूर्वोतर क्षेत्रीय परिषद्** (1971 में संसदीय कानून द्वारा गठन) - अरूणाचल प्रदेश, असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। मुख्यालय:- असम (गुवाहटी)

संरचना

- केन्द्र सरकार का ग्रहमंत्री (6 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष)।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
- केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक।
- योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति।
- प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव।
- प्रत्येक राज्य का विकास आयुक्त।
- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् में मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में होता है। कार्यकाल 1 वर्ष होगा।

कार्य:-

- देश के एकीकरण को बढ़ावा देना।
- क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के विस्तार को रोकना।
- विभाजन के बाद उत्पन्न प्रभावों को दूर करना, एकीकरण व विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
- राजनैतिक समन्वय की स्थापना करना।
- विकास योजनाओं को सफल बनानें में सहयोग देना।
- आर्थिक, सामाजिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करना।
- नीतियों विवादों व अनुभवों का आदान प्रदान करना।

नीति आयोग

☛ योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की परिकल्पना के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था।

संरचना

- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।
- पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
- विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

उद्देश्य-

- राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मबूत राष्ट्र बनाते हैं।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिये तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि विशेष रूप से इसे संदर्भित क्षेत्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।

GST Council

☛ जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी परिषद) वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है । 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था (GST) की शुरुआत की।

प्रशासनिक सुधार आयोग

प्रशासनिक सुधारों की जरूरत क्यों?

☛ ब्रिटिश काल में शासन से तात्पर्य मुख्यत: कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना था, लेकिन देश के आजाद होने के बाद नए माहौल में आवश्यकताएँ बदलने के साथ ही प्रशासनिक सुधारों की जरूरत महसूस की गई। आजादी के बाद देश में सामाजिक व आर्थिक संरचना में बड़े परिवर्तनों के लक्ष्य के मद्देनजर पंचवर्षीय योजनाएँ आरंभ की गई, जिनके लिये प्रशासनिक ढाँचे में सुधार अपेक्षित था। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ते भ्रष्टाचार व अन्य खामियों को नियंत्रित करने के लिये भी प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता थी। इसके अलावा लोगों की आवश्यकताएं निरंतर बदलती रहती हैं और प्रशासन को भी उन्हीं के अनुरूप बदलना पड़ता है। यह परिवर्तन ही है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया के दोषपूर्ण कार्य संचालन को ठीक करने का काम करता है अर्थात् प्रशासनिक सुधारों की मांग करता है।

सरकारिया आयोग

☛ सरकारिया आयोग का गठन जून, 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।

सरकारिया आयोग की सिफारिशें-

☛ सरकारिया आयोग की कुछ सिफारिशों को निचे बिन्दुवार दर्शाया गया हैं-

- इसने सहकारी संघवाद के विचार का समर्थन किया और एक अवलोकन प्रस्तुत किया कि संघवाद एक स्थिर संस्थागत अवधारणा की तुलना में सहकारी कार्रवाई के लिए अधिक कार्यात्मक व्यवस्था है।
- इसने यह भी सिफारिश की कि कराधान से संबंधित मामलों में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास रहनी चाहिए। कराधान के मामलों के अलावा, शेष क्षेत्र को समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन केवल चरम परिस्थितियों में अंतिम उपाय के रूप में लगाया जाएगा और जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी को टूटने से बचाने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक हो जाए।
- राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करने की प्रक्रिया होनी चाहिए।
- राज्यपाल को पद छोड़ने के बाद सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति या लाभ के पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

पूंछी आयोग

☛ केंद्र-राज्य संबंधों के नए मुद्दों को देखने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा पुंछी आयोग (Punchhi Commission) का गठन किया गया था।

पूँछी आयोग की सिफारिश-

- पूँछी आयोग की निम्नलिखित सिफारिश हैं जिसे बिन्दुवार दर्शाया गया है-
- राष्ट्रीय एकता परिषद को स्थापित करना
- अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करना
- समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाते समय राज्यों से सिफारिश करना
- राज्यपालों की नियुक्ति और निष्कासन
- संघ की संधि करने की शक्ति
- मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति

☛ **केंद्र- राज्य संबंधों से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का प्रश्न**

1. भारतीय संविधान को अर्द्ध संघीय क्यों कहा जाता है परीक्षण कीजिए । Examine why the Indian Constitution is called quasi federal. (BPSC, 39th)
2. भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवत्तियों का विश्लेषण कीजिए । Analyze the emerging trends in Indian Federalism. (BPSC, 41th)
3. भारतीय लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवशत्तियों का विश्लेषण कीजिए। Analyze the emerging trends in Indian democracy. (BPSC, 43rd)
4. भारतीय संघ व्यवस्था में सामयिक प्रचलनों की व्याख्या करें। क्या राज्यों को अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है? Explain the contemporary trends in the Indian federal system. Do states need more autonomy? (BPSC, 48-52nd)
5. भारतीय संघीय व्यवस्था और केन्द्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी परिषद के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। Describe the adminstrative relation between the Indian federal system and the center state with special reference to the National Anti-Terrorism Council. (BPSC, 53-55th)
6. भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। Analyze the areas of tension between the central and states in the Indian federal system. Describe the relationship between the federal government and Bihar at present. (BPSC, 56-59th)
7. केंद्र प्रायोजित योजनाएं केनद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रहे हैं। उदाहरणों को हवाला देते हुए चर्चा करें। Centrally Sponsored Schemes have always been a point of contention between the Center and the States. Discuss citing examples. (BPSC, 63rd)
8. 'भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केन्द्र सरकार की ओर उन्मुख है।' व्याख्या कीजिए। Indian federal structure is constitutionally oriented towards the Central Government. Explain (BPSC, 66th)
9. बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जाँच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। Discuss the problem of Centre-State relationship in India and its prospects in future, with special reference to Bihar. Examine as to how the problem can be constructively handled in tune with cooperative federalism. (BPSC, 67th)

❑❑❑

केंद्र राज्य, संघवाद, बिहार-केंद्र संबंध संघर्ष

भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें-

☛ **भारतीय संघवाद विशेषतः** संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक के तहत एक संघीय दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को निर्धारित किया गया है। इस संरचना में, केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन और साझेदारी का संरचना दृढ़ है। इसका प्रमुख लक्ष्य एक एकत्रित राष्ट्र की रूपरेखा का साधना है, जिसमें एक समृद्ध, समान और एकत्रित भारत की भावना है।

यहां कुछ भारतीय संघवाद की उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण है :-

1. **सहकारीता और साझेदारी:** भारतीय संघवाद में सहकारीता और साझेदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्यों और केंद्र के बीच साझेदारी का सिस्टम, विभिन्न राज्यों को उनकी अद्वितीयता के हिसाब से विकसित करने में मदद करता है।
2. **केंद्र-राज्य संबंधों में विपरीतता:** चिंगारी सरकार के दौरान और उसके बाद, केंद्र-राज्य संबंधों में विपरीतता का अनुभव हुआ है। कुछ राज्यों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वरूपाधिकार को बढ़ावा दिया है, जबकि दूसरे राज्यों ने केंद्र से आधिकारिक दबाव का सामना किया है।
3. **राजनीतिक आर्थिक सामंजस्य:** भारतीय संघवाद में राजनीतिक और आर्थिक सामंजस्य की प्रवृत्ति है। केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी और समर्थन के माध्यम से आर्थिक विकास की कोशिश की जा रही है।
4. **स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में साझेदारी:** स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं पहुंची जा सकें।
5. **सांविदानिक आदिकारिता का पालन:** संघवाद भारतीय संविधान में सांविदानिक आदिकारिता का पालन करता है। यह नागरिकों को विभिन्न अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ समर्थन करता है।
6. **विभाजन और एकीकरण की प्रवृत्ति:** कुछ समयों में, केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन की प्रवृत्ति नजर आई है, जबकि दूसरी ओर केंद्र और राज्यों के बीच एकीकरण के प्रयास देखने को मिलते हैं।
7. **संघ-राज्य सम्बन्ध:** भारतीय संघवाद में, संघ (केंद्र) और राज्यों के बीच संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय सरकार को केंद्रीय सत्रीय और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने का कारण मिलता है, लेकिन राज्यों को अपनी स्वतंत्रता के लिए भी विशेष अधिकार होते हैं।
8. **साझा नीतिएं:** संघवाद नीतियों के साझा निर्धारण में मदद करता है। संघ और राज्यों के बीच साझा नीतिएं राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्यपूर्णता और एकता बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

9. **आर्थिक विकास की दिशा:** संघवाद आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहायक हो सकता है। राज्यों को अपनी आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए आत्मनिर्भरता के माध्यम से सहारा मिलता है, जबकि साथ ही संघ राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को निर्धारित कर सकता है।
10. **भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता:** संघवाद भारतीय भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न भाषाओं, सांस्कृतिक रूपों, और जीवनशैलियों को समर्थन करता है और सहायता करता है ताकि वे एक समृद्ध और एकत्रित राष्ट्र का हिस्सा बन सकें।
11. **भाषाई और सांस्कृतिक सत्ता का संतुलन:** संघवाद भाषाओं और सांस्कृतिकों को समर्थन करता है और उन्हें स्वतंत्रता और सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को बचा सकें।
12. **राजनीतिक समर्थन:** संघवाद राजनीतिक समर्थन प्रदान कर सकता है क्योंकि यह संघ और राज्यों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अभिवृद्धि की दिशा में मिलकर काम करने का अवसर देता है।
13. **नागरिक समृद्धि:** संघवाद नागरिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों को राष्ट्र के साथ जुड़े रहने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका देता है।
14. **संरचनात्मक न्याय:** संघवाद भारतीय समाज में संरचनात्मक न्याय को बढ़ावा देने का कारण बनता है, क्योंकि यह संघ और राज्यों के बीच संरचनात्मक संबंधों को स्थापित करता है।

☛ इन प्रवृत्तियों का संघवादी सिस्टम में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और इन्हें समझकर इसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान में सुधार की प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में हो रही है ताकि संघवाद सशक्त हो सके और समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सके।

भारतीय लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें।

☛ भारतीय लोकतंत्र एक बहुमत प्रणाली और सामाजिक विविधता के साथ एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संविधान है। यहां कुछ उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण है:

1. **चुनावी प्रक्रिया का विकास:** चुनावी प्रक्रिया में सुधार और विकास भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसमें ई-वोटिंग, चुनावी प्रणाली की तकनीकी उन्नति, और चुनावी प्रक्रिया के तरीकों में सुधार शामिल हैं।
2. **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सशक्त करने की दिशा में उभरता हुआ एक और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। महिला नेतृत्व और उनकी सहभागिता में सुधार हो रहा है।
3. **जनप्रतिनिधि सुधार:** लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के सुधार के लिए प्रयास जारी है। यह जनप्रतिनिधियों की क्षमता, जवाबदेही, और नेतृत्व को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।
4. **तकनीकी उन्नति:** तकनीकी उन्नति ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को राजनीतिक घटनाओं से जुड़ने का एक नया और अधिक सीधा तरीका प्रदान किया है।
5. **आर्थिक परिवर्तन:** लोकतंत्र में आर्थिक सुधारों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह गरीबी की हटाने, और सामाजिक समानता की प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर रहा है।
6. **सामाजिक न्याय और अधिकार:** लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और अधिकार की मांग बढ़ रही है, और इसके परिणामस्वरूप लोग अपने अधिकारों की प्रकटीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
7. **युवा सामरिक सहभागिता:** युवा पीढ़ी अब अधिकतम सहभागिता की आदान-प्रदान कर रही है और राजनीतिक प्रक्रियाओं में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जुट रही है।
8. **सांविदानिक स्वतंत्रता:** सांविदानिक स्वतंत्रता के मामले में जनता की जागरूकता बढ़ रही है और लोग सांविदानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
9. **पर्यावरण सुरक्षा:** लोकतंत्र में पर्यावरण सुरक्षा की महत्वपूर्णता को मान्यता प्राप्त हो रही है और इसके लिए विशेषज्ञता, नीतियों, और सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता है।
10. **आर्थिक समृद्धि:** भारतीय लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय उठाए जा रहे हैं। सरकारें आर्थिक सुधार की दिशा में कदम उठा रही हैं और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी को कम करने और समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं।
11. **तकनीकी प्रगति:** डिजिटल युग में, भारतीय लोकतंत्र तकनीकी प्रगति की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आईटी सेक्टर, डिजिटलीकरण, और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी में सुधार से लोगों को अधिक जानकार और सुविधाएं मिल रही हैं।
12. **सामाजिक न्याय और समाज सेवाएं:** लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और समाज सेवाएं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और गरीबी के खिलाफ उपाय, समाज को समृद्धि की दिशा में मदद कर रही हैं।
13. **महिला सशक्तिकरण:** भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में समाहित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, और नागरिकता में बढ़चढ़कर उन्हें समाज में अधिक योगदान करने का मौका मिल रहा है।
14. **विचार और मुक्ति:** लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता में से एक यह है कि लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। यह विचारशीलता और मुक्ति के माध्यम से समाज को सुधारने और बदलने का मार्ग प्रदान करता है।
15. **शिक्षा के प्रोत्साहन:** लोकतंत्र शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। निरक्षरता को कम करने, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने, और विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए नई पहलबर्दारियों की ओर बढ़ता है।

16. **ग्रामीण विकास:** लोकतंत्र गाँवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

☛ इन प्रवृत्तियों का संविधानीय लोकतंत्र में विकास हो रहा है और ये सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारतीय संघीय व्यवस्था में समकालीन प्रवृत्तियों की व्याख्या करें। क्या राज्यों को अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है?

☛ **समकालीन प्रवृत्तियाँ भारतीय संघीय व्यवस्था में:**

1. **वित्तीय संबंधों में बदलाव:** समकालीन समय में, वित्तीय संबंधों में कई परिवर्तन हुए हैं। नीतिगत बदलाव और समाज में विभिन्न स्तरों पर अर्थव्यवस्था की समृद्धि के साथ, राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में सुधार हो रहा है।
2. **सीमांत सुरक्षा:** सीमांत सुरक्षा में समकालीन परिवर्तन हुआ है। राज्यों को खुद की सीमा सुरक्षा में अधिक सकारात्मक भूमिका मिल रही है, जिससे वे स्वतंत्रता और निर्भीक संरचना बना सकते हैं।
3. **सामाजिक न्याय और समाज सेवाएं:** सामाजिक न्याय और समाज सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलना चाहिए ताकि वे अपनी जनता के लिए उचित नीतियों को बना सकें।
4. **शिक्षा और स्वास्थ्य:** शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में समकालीन परिवर्तन हो रहा है, जिसमें राज्यों को अधिक स्वायत्तता और नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है।
5. **डिजिटल भारत:** डिजिटल भारत के साथ, राज्यों को अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि वे तकनीकी समृद्धि के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें।
6. **पर्यावरण संरक्षण:** अधिक स्वायत्तता के साथ, राज्यों को पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाने का मौका मिलता है, जिससे वे अपने क्षेत्र में पर्यावरण के लिए उचित नीतियों को बना सकते हैं।
7. **नागरिक समृद्धि:** सामाजिक मीडिया और नागरिक समृद्धि में समकालीन बदलाव आया है। लोग अब अधिक जागरूक हैं और उन्हें अपने हकों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जानकारी है। राज्यों को इस बदलते समाज में नागरिक समृद्धि को समर्थन करने के लिए सकारात्मक रूप से योजनाएं बनानी चाहिए।
8. **सामाजिक न्याय और समाज सेवाएं:** समकालीन समय में, सामाजिक न्याय और समाज सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। राज्यों और केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी और असमानता के खिलाफ उपाय करने का प्रयास किया है।
9. **आर्थिक सुधार और विकास:** आर्थिक सुधार और विकास के क्षेत्र में समकालीन प्रवृत्तियाँ भी देखी जा सकती हैं। राज्य सरकारें ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, जिससे नौकरी और आर्थिक समृद्धि में सुधार हो सके।
10. **तकनीकी उन्नति और डिजिटलीकरण:** भारत में तकनीकी उन्नति और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं पर काम हो रहा है। राज्य सरकारें ने अनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।
11. **महिला सशक्तिकरण:** समकालीन समय में, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकारें ने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया है।
12. **प्रशासनिक सुधार:** संघीय राज्यों में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। नागरिक सेवाओं को सुधारने के लिए और सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए नए तंत्रों और तकनीकों का अधिग्रहण किया गया है।
13. **सांविदानिक सुधार:** संविदान में संशोधन के माध्यम से संघीय स्थिति को मजबूती देने की कई कोशिशें हुई हैं। इससे संविदान को समझदारी और समझदारी के साथ लागू किया जा सकता है ताकि यह समय के साथ बदलते परिस्थितियों के साथ समर्थ रहे।

क्या राज्यों को अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है?

1. **स्थानीय जनता को सुनने की आवश्यकता:** राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलने से, वे अपनी स्थानीय जनता की आवश्यकताओं और मांगों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उचित नीतियों को बना सकते हैं।
2. **विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक सांविदानिकता:** भारत विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक सांविदानिकता के साथ भरा हुआ राष्ट्र है। राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलने से, वे अपनी विशेषताओं के अनुसार नीतियों को तैयार कर सकते हैं जो स्थानीय वातावरण के साथ मेल खाती हैं।
3. **नीतियों का अनुकूलन:** अधिक स्वायत्तता से राज्यों को अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर नीतियों को अनुकूलन करने का अधिक अधिकार होता है, जिससे वे अधिक प्रभावी और सुरक्षित नीतियां बना सकते हैं।
4. **नागरिक समर्थन:** स्थानीय स्तर पर नीतियों का बनावट करने से नागरिकों को अपने राज्य सरकार से ज्यादा समर्थन मिलता है, जिससे वे अपनी सरकार के साथ सहभागी बन सकते हैं।
5. **सुशासन और निर्धारितता:** राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलने से वे अपनी सामग्री को बेहतर ढंग से संरचित कर सकते हैं, जिससे सुशासन और निर्धारितता में सुधार हो सकता है।
6. **कुशल प्रबंधन:** राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलने से, वे अपने क्षेत्र में कुशल प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं।

☛ हालांकि, एक सावधानी बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि अत्यधिक स्वायत्तता से उत्पन्न होने वाली असमानता और असंतुलन को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। स्वायत्तता के साथ उचित जिम्मेदारी और संवेदनशील नीतियों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है ताकि समृद्धि समाज के सभी हिस्सों तक पहुंच सके।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद के विशेष संदर्भ में भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र-राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध का वर्णन करें

☛ **राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद (National Counter Terrorism Centre & NCTC)–** एक सुरक्षा एजेंसी है जो भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने के लिए स्थापित की गई थी। यह संगठन भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र-राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय है।

1. **भारतीय संघीय व्यवस्था:**
   - **संघीय संरचना:** भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ और राज्य दो स्वतंत्र शासनिक इकाइयां हैं, जिनमें अपने-अपने संरचनात्मक और आर्थिक प्राधिकृतियां हैं। संघ राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में शक्ति का संरचन है।
   - **सूची विभाजन:** सूची विभाजन के तहत, संघ और राज्यों के बीच सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर सहयोग करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संगठित अधिकार होते हैं। इससे सुरक्षा के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच संबंध मजबूत होते हैं।

2. **केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध:-**
   - **साझा दृष्टिकोण:** संघ और राज्यों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण रखा जाता है। आतंकवाद विरोधी जनशक्ति और सुरक्षा के क्षेत्र में योजनाएं बनाने में संघ और राज्यों को सहयोग करने का प्रयास किया जाता है।
   - **सांविदानिक आधार:** संघ और राज्यों के बीच संविधानिक आधार पर आधारित समझौते के माध्यम से आतंकवाद और सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति होती है।
   - **सांविदानिक संबंध:** संविधान के एनएके अधिनियम के माध्यम से निर्मित NCTC को स्थापित किया गया है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों को काम करने में मदद करना है।
   - **केंद्रीय संरचना:** NCTC को केंद्रीय संरचना के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इसका प्रशासनिक और प्रशासनिक और नियमन केंद्र सरकार द्वारा होगा।
   - **राज्य सरकारों की भूमिका:** NCTC को आतंकवाद के मामलों में राज्यों को समर्थन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह राज्य सरकारों से आतंकवाद से संबंधित जानकारी और सहयोग प्राप्त करता है और सहयोग करने के लिए उन्हें मुद्दों में शामिल करता है।
   - **संयुक्त क्रियावली प्रणाली:** NCTC की सहायकता से केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से क्रियावली कर सकती हैं और आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त प्रयास कर सकती हैं।
   - **राज्यों की आपातकालीन स्थिति:** NCTC को यदि किसी राज्य में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी हो, तो इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी।
   - **समर्थन और सहायता:** NCTC का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार करना है, और इसमें केंद्र और राज्यों के सहयोग और समर्थन का महत्वपूर्ण स्थान है।
   - **संविधानीय मार्गदर्शिका:** संविधान के तहत NCTC को स्थापित किया गया है, और इसमें व्यवस्था के संरचना और स्वरूप की मार्गदर्शिका दी गई है।

3. **राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद (NCTC):**
   - **स्थापना: NCTC** भारत सरकार द्वारा 2009 में स्थापित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाना और संबंधित जानकारी को संग्रहित करना है।
   - **केंद्र का नेतृत्व:** NCTC का नेतृत्व केंद्र सरकार करती है, और इसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से संबंधित जानकारी को संग्रहित करना और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना है।
   - **प्रशासनिक संबंध:** NCTC का सीधा संबंध केंद्र सरकार से है, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की सहमति और सहयोग की आवश्यकता है। इसमें सुरक्षा के क्षेत्र में राज्यों के साथ सहयोग के लिए निर्देशित किया गया है।

☛ राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद (NCTC) एक संघीय एजेंसी है जो राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को समर्थित करती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना और सुरक्षा में समर्थन प्रदान करना है। हालांकि, NCTC के स्थापना से जुड़े कुछ राज्यों ने आपातकालीन स्थिति में राज्य सरकार को अधिकारीत करने का विरोध किया है, जिससे इसका कुछ समय के लिए लागू करना रुक गया है।

वर्तमान में संघीय सरकार और बिहार के बीच संबंध:

☛ वर्तमान में, बिहार राज्य और संघीय सरकार के बीच कई क्षेत्रों में संबंध हैं, जिनमें कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू हैं:

1. **वित्तीय समर्थन:**
   - बिहार को अपनी आर्थिक समर्थन की बढ़ाने की आवश्यकता है और यह वित्तीय समर्थन की मांग करता है। इसके बावजूद, संघ की दृष्टि से इस पर आपत्ति है क्योंकि बिहार का अधिकांश बजट केंद्र से आता है और संघ इसे सहारा देने की मांग करता है।

2. **राजनीतिक तनाव:**
   - राजनीतिक तनाव क्षेत्र में बिहार और संघ के बीच चर्चा के क्षेत्र में है। राजनीतिक विभाजन और आपसी विरोध के कारण कई बार संबंध तनावपूर्ण होते हैं।

3. **विकास कार्यक्रमों में सहयोग:**
   - बिहार को संघ के विकास कार्यक्रमों में शामिल होने में सहारा मिलता है। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परियोजनाओं के लिए संघ की सहायता प्राप्त करता है।
4. **शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायकता:**
   - बिहार को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में संघ के विकास कार्यक्रमों की सहायकता प्राप्त होती है। इसके बावजूद, बिहार सरकार ने कई बार अपने आप को अधिक स्वायत्तता की मांग करते हुए दिखाया है।
5. **सामाजिक न्याय के क्षेत्र में तनाव:**
   - बिहार में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में संघ और राज्य सरकार के बीच तनाव बना रहता है। बिहार सरकार का दावा है कि वह संघ के सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों में बेहतर सहयोग चाहती है।
6. **वित्तीय तनाव:**- वित्तीय संसाधनों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा है। बिहार एक गरीब राज्य है और यह केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की मांग करता है।
7. **सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव:**- सामाजिक और सांस्कृतिक तनावों में राज्य और केंद्र के बीच विचारशीलता है, जैसे कि विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में असमंजस हो सकता है।
8. **राजनीतिक तनाव:** राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक तनाव भी देखा गया है, जिसमें स्थानीय और केंद्रीय सरकारें की राजनीतिक विकसन की प्राथमिकता तय करने में विभिन्नता है।
9. **कृषि और उद्यमिता से संबंधित तनाव:** बिहार में कृषि और उद्यमिता से संबंधित मुद्दे भी तनावपूर्ण हैं, जहां स्थानीय और केंद्रीय सरकारें विभिन्न योजनाओं को लेकर असमंजस हो सकती हैं।
10. **यूनियन और किसान संगठनों के साथ तनाव:** किसान संगठनों और यूनियनों के साथ तनाव भी देखा जा सकता है, जहां स्थानीय और केंद्रीय सरकारों के बीच कृषि योजनाओं और समर्थन में असमंजस हो सकता है।

☞ **बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं पर चर्चा करें। इस बात का परीक्षण करें कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक ढंग से कैसे संभाला जा सकता है।**

☞ **बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की समस्या**-

1. सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग
2. विशेष राज्य दर्जा की मांग
3. वित्त आयोग, जनसंख्या वर्ग के अनुसार कम धनराशि उपलब्ध कराना
4. नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है
5. सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग आज तक पूरी नहीं हुई उदाहरण- पटना विश्वविद्यालय।
6. एनसीआर, एनपीआर का विरोध
7. बाढ़ प्रबंधन कोष एवं सहायता
8. कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन, सिलेंडर वितरण मुद्दे के समय
9. केंद्रीय प्रायोजित योजना, जैसे- एक राष्ट्र एक बिजली, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक बिजली बिल, एक राष्ट्र एक वर्दी, UCC
10. जीएसटी संग्रह और वितरण
11. राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य से अनुशंसा न लेना
12. जाति जनगणना
13. एमएसपी की मांग (Demand of MSP)

संभावनाएं:

1. **सहकारी संघवाद की प्रोत्साहन:** सहकारी संघवाद उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए।
2. **कृषि सहकारिता:** बिहार में कृषि सहकारिता को बढ़ावा देने से किसानों को बेहतर उपाय मिल सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर बाजार एक्सेस और तकनीकी सहायता हो सकती है।
3. **स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना:** स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे नौकरियां बनेंगी और विकास होगा।
4. **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना:** सहकारी संघवाद को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में सहारा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सामूहिक सहकारी संघवाद शिक्षा केन्द्रों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को स्थापित करने में मदद कर सकता है।

सहकारी संघवाद के अनुरूप इस समस्या का समाधान:

1. **सहकारी कृषि समृद्धि:** सहकारी संघवाद के माध्यम से, किसानों को बेहतर बीज, तकनीकी साधन, और बाजार तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, जिससे कृषि क्षेत्र में समृद्धि हो सकती है।
2. **सहकारी शिक्षा समृद्धि:** सहकारी संघवाद के तहत, शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार किया जा सकता है, जिससे उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ सकती है और छात्रों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
3. **सहकारी रोजगार समृद्धि:** सहकारी संघवाद के अंतर्गत, रोजगार समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है, जिससे युवा वर्ग को और अधिक रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।
4. **सहकारी सामाजिक समृद्धि:** सहकारी संघवाद के माध्यम से, सामाजिक समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है, जैसे कि जातिवाद और समाज में असमानता को कम करना।

☞ सहकारी संघवाद भारत के केंद्र-राज्य संबंधों में समस्याओं का सामर्थ्यक और रचनात्मक ढंग से संभालने का एक विशेष तरीका हो सकता है। इससे साझा निर्णय और सहयोग के माध्यम से राज्यों को उनकी आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सकती है।

❑❑❑

केंद्र राज्य संबंध संबंधित करेंट अफेयर्स समान नागरिक संहिता

- भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) के संबंध में सार्वजनिक मत और प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। UCC भारत में एक अत्यधिक विवादित और राजनीतिक रूप से ज्वलंत मुद्दा रहा है। UCC पर विधि आयोग का पूर्व में यह रुख रहा था कि यह न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय। UCC एक प्रस्ताव है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के पर्सनल लॉ को सभी नागरिकों के लिये कानूनों के एक साझा समूह से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

संवैधानिक प्रावधान

- समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
- अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि ''राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।''

UCC को लागू करने की राह की चुनौतियाँ

- सामान नागरिक संहिता को लागू करने की राह में निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

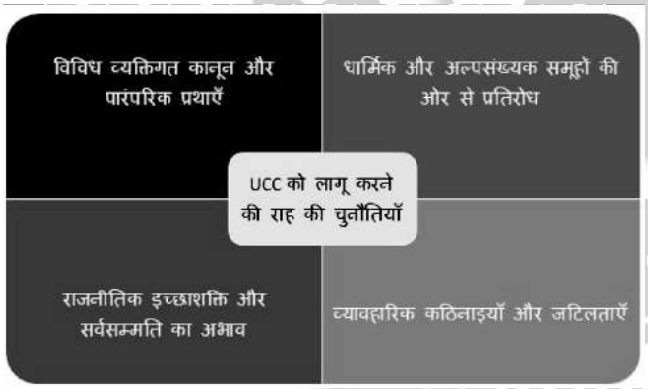

विविध व्यक्तिगत कानून और पारंपरिक प्रथाएँ

- भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है।
- प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून और रीति-रिवाज हैं जो उनके नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं।
- ये कानून और प्रथाएँ विभिन्न क्षेत्रों, संप्रदायों और समूहों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं।
- ऐसी विविधता के बीच एक समान आधार और एकरूपता पा सकना अत्यंत कठिन एवं जटिल है।
- इसके अलावा, कई व्यक्तिगत कानून संहिताबद्ध या प्रलेखित नहीं हैं, बल्कि मौखिक या लिखित स्रोतों पर आधारित हैं जो प्राय: अस्पष्ट या विरोधाभासी होते हैं।

धार्मिक और अल्पसंख्यक समूहों की ओर से प्रतिरोध

- कई धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह UCC को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
- उन्हें भय है कि समान नागरिक संहिता एक बहुसंख्यकवादी या समरूप कानून लागू करेगी जो उनकी पहचान एवं विविधता की उपेक्षा करेगी।
- वे यह तर्क भी देते हैं कि UCC अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। अनुच्छेद 25 ''अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता'' प्रदान करता है।

राजनीतिक इच्छाशक्ति और सर्वसम्मति का अभाव

- UCC को लाने और उसे लागू करने के संबंध में सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं सर्वसम्मति की कमी है।
- ऐसी भी आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं कि UCC समाज में सांप्रदायिक तनावों और संघर्षों को भड़का सकती है।

व्यावहारिक कठिनाइयाँ और जटिलताएँ

- UCC को लागू करने के लिये भारत में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉज और प्रथाओं का मसौदा तैयार करने, उन्हें संहिताबद्ध करने, उनके बीच सामंजस्य लाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने की व्यापक कवायद की आवश्यकता होगी।
- इसके लिये धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के व्यापक परामर्श और भागीदारी की आवश्यकता होगी।
- लोगों द्वारा UCC के अनुपालन और स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिये प्रवर्तन एवं जागरूकता के एक सुदृढ़ तंत्र की भी आवश्यकता होगी।

एक राष्ट्र एक चुनाव

- हाल ही में केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' (One nation One election - ONOE) योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है।

एक साथ चुनाव कराने के लाभ

- अगस्त 2018 में भारत के विधि आयोग द्वारा एक साथ चुनावों पर जारी मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, एक राष्ट्र एक चुनाव के अभ्यास से सार्वजनिक धन की बचत की जा सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकेगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन होगा तथा चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार किये जा सकेंगे।

एक साथ चुनाव कराने में चुनौतियाँ

- एक साथ चुनाव कराने के निम्नलिखित लाभ हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

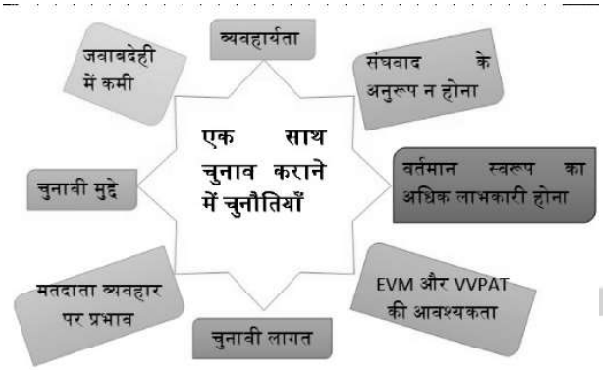

व्यवहार्यता

- संविधान के अनुच्छेद 83(2) और अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, यदि इन्हें पहले भंग न किया जाए तथा अनुच्छेद 356 के तहत ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें विधानसभाएँ पहले भी भंग की जा सकती हैं। इसलिये केंद्र अथवा राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार गिरने की स्थिति में ONOE योजना की व्यवहार्यता सबसे अहम प्रश्न है।
- इस तरह के बड़े बदलाव के लिये संविधान में संशोधन करने से न केवल विभिन्न स्थितियों और प्रावधानों पर व्यापक तौर पर विचार करने की आवश्यकता होगी, बल्कि ऐसे बदलाव भविष्य में किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधनों के लिये एक चिंताजनक मिसाल भी साबित हो सकते हैं।

संघवाद के अनुरूप न होना

- ONOE का विचार 'संघवाद' की अवधारणा से सुमेलित नहीं है क्योंकि यह इस धारणा पर आधारित है कि संपूर्ण राष्ट्र ''एक (One)'' है जो कि अनुच्छेद 1 द्वारा भारत को ''राज्यों के संघ'' के रूप में वर्णित विचार का खंडन करता है।

वर्तमान स्वरूप का अधिक लाभकारी होना

- बार-बार होने वाले चुनावों के कारण चुनाव के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में अधिक लाभकारी के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि यह मतदाताओं की आवाज सुनने की अधिक बार अनुमति देता है।
- चूँकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अंतर्निहित मुद्दे अलग-अलग होते हैं, इसलिये वर्तमान ढाँचा इन मुद्दों को पृथक रूप से हल करने में मदद करता है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

EVM और VVPAT की आवश्यकता

- एक साथ चुनाव के लिये लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की आवश्यकता होगी।
- भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India - ECI) ने वर्ष 2015 में सरकार को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संविधान तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन का सुझाव दिया गया।

चुनावी लागत

- ECI ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक साथ चुनाव कराने के लिये पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी।
- प्रत्येक 15 वर्ष की अवधि के बाद मशीनों को बदलने की अतिरिक्त लागत के साथ EVM और VVPAT की खरीद के लिये कुल लगभग 9,284.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
- एक साथ चुनाव होने से चुनावों के लिये मशीनों को एकत्र करने हेतु भंडारण लागत में वृद्धि होगी।

मतदाता व्यवहार पर प्रभाव

- कुछ राजनीतिक दलों का तर्क है कि यह मतदाताओं के व्यवहार को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि मतदाता राज्य चुनावों के लिये भी राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रखकर मतदान करेंगे जिससे बड़े राष्ट्रीय दल, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा दोनों चुनावों में जीत हासिल कर सकते हैं और इस तरह क्षेत्रीय दल हाशिये पर चले जाएंगे।

चुनावी मुद्दे

- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कभी-कभी अलग-अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और जब वे एक साथ आयोजित किये जाएंगे तो मतदाता मुद्दों के एक सेट को दूसरे की तुलना में अधिक महत्त्व दे सकते हैं।

जवाबदेही में कमी

- प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। अंततः चुनावों के दौरान बहुत सारी नौकरियाँ भी सृजित होती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

भारत में एक साथ चुनाव की व्यवस्था बहाल करना

- लॉ कमीशन वर्किंग पेपर (2018) की सिफारिशों के अनुसार, संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन के माध्यम से एक साथ चुनाव बहाल किये जा सकते हैं। वर्ष 1951 के अधिनियम की धारा 2 में एक परिभाषा जोड़ी जा सकती है।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कामकाज के नियमों में संशोधन के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव को रचनात्मक अविश्वास मत से बदला जा सकता है।

- त्रिशंकु विधानसभा अथवा संसद में गतिरोध को रोकने के लिये दल-बदल विरोधी कानून की शक्ति को कम किया जा सकता है।
- लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आम चुनावों की घोषणा के लिये छह महीने की वैधानिक समय-सीमा को एक बार बढ़ाया जा सकता है।

वे देश जहाँ एक साथ चुनाव होते हैं

- **दक्षिण अफ्रीका में** राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव पाँच साल के लिये एक साथ होते हैं और नगरपालिका चुनाव दो साल बाद होते हैं।
- **स्वीडन में** राष्ट्रीय विधायिका (Riksdag) और प्रांतीय विधायिका/ काउंटी परिषद (Landsting) तथा स्थानीय निकायों/ नगरपालिका विधानसभाओं (Kommunfull-maktige) के चुनाव चार साल के लिये एक निश्चित तिथि यानी सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं लेकिन अधिकांश अन्य बड़े लोकतंत्रों में एक साथ चुनाव की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
- **ब्रिटेन में** ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान था कि पहला चुनाव 7 मई, 2015 को और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष मई के पहले गुरुवार को होगा।
- **जर्मनी** के संघीय गणराज्य के लिये बुनियादी कानून का अनुच्छेद 67 अविश्वास के रचनात्मक वोट का प्रस्ताव करता है (पदाधिकारी को बर्खास्त करते हुए उत्तराधिकारी का चुनाव करना)।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023

विधेयक की मुख्य बातें-

- विधेयक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होते हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल (एलजी) को सिफारिशें करेगा।
- विधेयक एलजी को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित मामलों और दिल्ली विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने सहित कई मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देता है।
- यह विभाग के सचिवों को किसी भी मामले को एलजी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने के लिए अधिकृत करता है जो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ विवाद में ला सकता है।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- प्राधिकरण को अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की शक्तियां प्रदान करने से जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला टूट सकती है जो सिविल सेवाओं, मंत्रियों, विधायिका और नागरिकों को जोड़ती है। यह संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है, जो बुनियादी संरचना सिद्धांत का एक हिस्सा है।
- विधानसभा कब बुलाई जाएगी सहित कई मामलों में एलजी को पूर्ण विवेकाधिकार दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री आवश्यक सरकारी कार्य के लिए आवश्यक सत्र बुलाने में असमर्थ हो सकते हैं।
- विभाग के सचिव कुछ मामलों को संबंधित मंत्री से सलाह किए बिना सीधे एलजी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास लाएंगे। यह कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि संबंधित मंत्री अपने इनपुट नहीं दे सकते।

ED और CBI का दुरूपयोग-

अंतराज्यीय जल विवाद

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956: इस अधिनियम के तहत यदि विवाद में संलग्न राज्य बातचीत से मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं हैं तो केंद्र ISRWD को हल करने के लिये एक न्यायाधिकरण (tribunal) का गठन करता है।
  - **कावेरी नदी जल विवाद**- यह विवाद केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के मध्य नदी जल बटवारे को लेकर है।
  - **कृष्णा नदी जल विवाद**- कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊँचाई बढ़ाने को लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मध्य जल विवाद है।
  - **यमुना नदी जल विवाद**- हरियाणा में निर्माणाधीन हथिनीकुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य विवाद है।
  - **पेरियार नदी जल विवाद**- पेरियार नदी पर निर्मित मुल्ला पेरियार बांध की ऊँचाई को लेकर तमिलनाडु तथा केरल के मध्य विवाद है।
  - **सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद**- पंजाब तथा हरियाणा के मध्य नहर जल को लेकर विवाद है।

अंतराज्यीय जल विवाद वर्तमान मुद्दा

- ओडिशा ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम 1956 के तहत जल शक्ति मंत्रालय से शिकायत की है जिसमें छत्तीसगढ़ पर गैर-मानसून मौसम में महानदी में जल छोड़कर महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
- MWDT का गठन मार्च 2018 में किया गया था। न्यायाधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।
- महानदी बेसिन जल आवंटन के संबंध में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच कोई अंतर्राज्यीय समझौता नहीं है।

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतंर्राज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिये अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक [Inter - State River Water disputes (Amendment) Bill] 2019 को मंजूरी दे दी है।
- इसका उद्देश्य अतंर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल और कारगर बनाना और मौजूदा संस्थागत ढाँचे को मजबूत बनाना है।

प्रभाव

- न्यायिक निर्णय के लिये सख्त समय सीमा निर्धारण और विभिन्न बैंचों के साथ एकल न्यायाधिकरण के गठन से अतंर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों तथा न्यायाधिकरण को सौंपे गए जल विवादों का तेजी से समाधान करने में मदद मिलेगी।
- इस विधेयक में संशोधनों से न्यायिक निर्णय में तेजी आएगी।

अंतर्राज्यीय सीमा विवाद

अंतर्राज्यीय सीमा विवादों की उत्पत्ति

- **राज्यों का पुनर्गठन:** कई अंतरराज्यीय सीमा विवादों की जड़ें 1950 के दशक में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन में हैं। परिणामस्वरूप, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इत्यादि के बीच सीमा विवाद है।
  - इस नीति ने क्षेत्रवाद को मजबूत किया और क्षेत्रवाद कभी-कभी संकीर्ण हित के लिए राष्ट्रीय हित से समझौता कर लेता है।
  - नागालिम, बोडोलैंड आदि जैसी अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए भी अलग भाषाई राज्य की कई मांगें होती रही हैं।
- **सीमाओं का सीमांकन करने के लिए ब्रिटिश काल के मानचित्रों का उपयोग:** कई राज्यों की सीमा का सीमांकन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जिला सीमाओं पर आधारित था, न कि गाँव की सीमाओं पर। वे शायद ही कभी सीमाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक सीमा को स्वीकार करते हैं।
- **जातीयता:** राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिर्फ एक राज्य, असम के निर्माण की सिफारिश की, जो अब मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का प्रशासन करेगा।

अंतर्राज्यीय सीमा विवाद वाले राज्य है

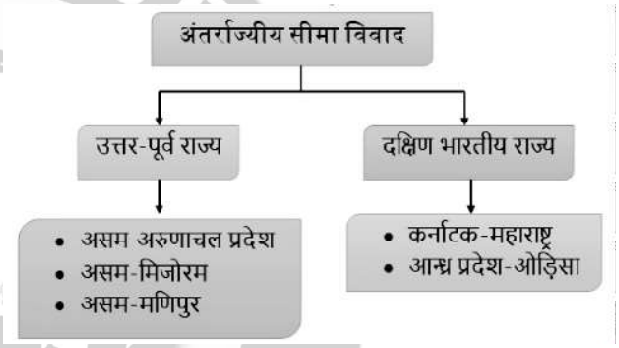

14 वां वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग के मध्य तुलना

क्र.सं.	तुलना का क्षेत्र	सम्बंधित कथन
1.	शहरों को निधि में वृद्धि	विभिन्न शहरों के लिए फंड आवंटन के मामले में 14 वें और 15 वें एफसी के बीच एक बड़ा अंतर देखा जा सकता है। 14 वें एफसी ने अपने विभाज्य पूल का केवल 4.31% (रु. 2,87,436 करोड़) स्थानीय सरकार को आवंटित किया, जबकि 30% (रु. 87,000 करोड़) अपनी नगर पालिकाओं को आवंटित किया। दूसरी ओर, 15 वें एफसी ने इस विभाज्य पूल का 4.15% (रु. 4,36,361 करोड़) स्थानीय सरकार को दिया है।
2.	महानगरीय शासन को मुख्यधारा में लाने के प्रयास	भारत में एक शिक्षाप्रद भौगोलिक विस्तार है, जिसमें 4500 से अधिक शहर और कस्बे विभिन्न नगरपालिका अधिनियमों के तहत कार्य करते हैं। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रति वर्ग किलोमीटर में न्यूनतम घनत्व 400 व्यक्ति है। 15 वें एफसी में एक महत्वपूर्ण अंतर 1992 के 74 वें सीएए सुधारों को लागू करने का प्रयास है। 14 वें एफसी ने अपने आवंटन का लगभग 20% प्रदर्शन अनुदान के लिए अलग रखा था। इस तरह के अनुदान राजस्व सुधार, लेखापरीक्षित खातों और सेवा-स्तरीय बेंचमार्क के प्रकटीकरण से जुड़े थे। बड़े शहर शायद ही किसी ठोस सुधार को लागू करने के लिए इतनी राशि का उपयोग कर सकें। हालाँकि, 15 वें एफसी ने महानगरीय सरकार को प्रोत्साहन दिया है, जिसमें 100% फंडिंग परिणाम से जुड़ी हुई है। यह शहरों को सुधार के प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
3.	नगरपालिका वित्त के लिए राष्ट्रीय मंच	दो प्रकार की नगरपालिका जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट की जाती है, जिसमें वित्तीय जानकारी जैसे वार्षिक बजट और लेखापरीक्षित खाते और परिचालन या प्रदर्शन डेटा शामिल हैं। इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2000 में एक सेवा स्तर बेंचमार्क ढांचा लागू किया था। इसमें चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जल आपूर्ति और तूफानी जल नालियां शामिल थीं। 14 वें एफसी के अनुसार , नगर पालिकाओं ने प्रदर्शन अनुदान शर्त के रूप में सेवा स्तर बेंचमार्क प्रकाशित किए। इसने नीतिगत निरंतरता का एक स्तर सुनिश्चित किया लेकिन बेहतर गुणवत्ता वाले डेटा या अधिक पारदर्शिता का लक्ष्य नहीं रखा। दूसरी ओर, 15 वें एफसी ने डिजिटल नगरपालिका खातों और नगरपालिका क्षेत्र के वित्त के एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर दिया है। इसने बेहतर डेटा-संचालित निर्णयों और महापौरों, पार्षदों और नागरिकों के बीच बेहतर जुड़ाव के लिए जमीन तैयार की है।
4.	राज्य वित्त आयोगों के लिए समय सीमा	राज्य वित्त आयोग राज्य स्तर पर समान भूमिकाएँ निभाते हैं। इन्हें विकसित करने के लिए 74 वां सीएए जिम्मेदार था। हालाँकि, अधिकांश राज्यों ने इन्हें विश्वसनीय संस्थानों में शामिल नहीं किया है। 14 वें वित्त आयोग तक केवल लगभग 15 राज्यों में पाँचवाँ या छठा राज्य वित्त आयोग था। हालाँकि, 15 वें एफसी ने इन राज्य सरकारों के लिए मार्च 2024 तक की समय सीमा तय की। राज्यों के पास इस अनुदान का त्याग करने का विकल्प है और इस तरह वे अपने एसएफसी की सिफारिशों से बच सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, वे उनकी सिफारिशों को स्वीकार किए बिना सुधार द्वारा इस अनुदान का उपयोग कर सकते हैं।